WORKSHOP ON IPR AND BASICS OF PATENT FILING

Date: 12/03/2019
Organizing Department: Department of Law
Mode: Offline
No. of Participants: 70
Duration of Event: 10:00 am to 2:00 pm
Resource Person: Dr. Bhupinder Singh, Associate Professor, School of Law, CHRIST (Deemed to be University) India
Coordinator Name: Tripti Verma
Event Venue: Seminar Hall, Technology block

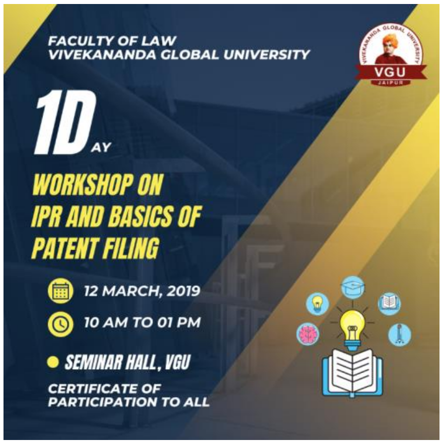

Faculty interacting with students

Brief Report

The session was attended by 70 people. The speaker discussed various aspects of how Intellectual property (IP) pertains to any original creation of the human intellect such as artistic, literary, technical, or scientific creation. Intellectual property rights (IPR) refers to the legal rights given to the inventor or creator to protect his invention or creation for a certain period of time. These legal rights confer an exclusive right to the inventor/creator or his assignee to fully utilize his invention/creation for a given period of time.
This workshop on IPR and basics of patent filing was funded by Dept. of Science and Technology, Govt. of Rajasthan.

The workshop covered following areas:

- Applying for a Patent
- Patentability Requirements
- Nonobviousness Requirement for Patents
- Utility Requirement for Patents
- Prior Art Leading to Denials of Patent Applications
- Provisional Patent Applications

राजस्थान सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
506, चतुर्थ मंजिल, मिनी सचिवालय, जयपुर

क्रमांक : प.7(1)विप्रौ / पी.आई.सी. / जी.आई. / 2017 / 1516 दिनांक 25/4/19

कार्यालय आदेश

राज्य आयोजना वर्ष 2018–19 में पेटेंट सूचना केन्द्र की निर्धारित गतिविधियों के अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राशि रू. 4.80 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसकी वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय आदेश क्रमांक प.13(126)विप्रौ. / आयो. / प्र.स्वी. / 2018–19 / 6532 दिनांक 12.04.2018 के द्वारा जारी की जा चुकी है।

उक्त उपलब्ध प्रावधाना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर को बौद्धिक सम्पदा अधिकार कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर द्वारा स्वीकृत "बौद्धिक सम्पदा अधिकार कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम" के आयोजन पर निम्नानुसार अधिकतम धनराशि रू. 70,000/– मात्र तक व्यय निम्नांकित मदों में किया जायेगा।

क्र.स	मदों का विवरण	स्वीकृत राशि
1.	मुख्य वक्ता एवं संदर्भ व्यक्तियों की टी.ए. / डी.ए. एवं मानदेय	15,000.00
2.	प्रतिभागियों (100) को वर्कशॉप किट मय संदर्भ साहित्य, पेन, फोल्डर आदि	10,000.00
3.	आयोजन स्थल का किराया एवं व्यवस्था, संदर्भ व्यक्तियों के स्थानीय सत्कार पर व्यय तथा समन्वय व्यय	15,000.00
4.	प्रतिभागियों (100) के वर्किंग लंच पर व्यय	20,000.00
5.	विविध व्यय	10,000.00
	योग	70,000.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार स्वीकृत धन राशि रू. 0.70 लाख (अक्षरे रू. सत्तर हजार मात्र) का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी मुख्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाकर विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर को ऑन लाईन निम्नलिखित विवरण :–

Account Holder Name	Vivekananda Global University, Jaipur
Bank Account No.	33190694618
Name of Bank	State Bank of India
Address of Bank	Churu Road, Jaipur
Bank IFSC Code	SBIN0004080
Mob No.	7597776818

यह व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष मांग संख्या 12–विविध सामाजिक सेवायें, 3425– अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 01–भारतीय सर्वेक्षण, 800–अन्य व्यय, (08)–(पेटेंट सूचना केन्द्र), [00]-[-],12–सहायतार्थ अनुदान, (ii) बौद्धिक सम्पदा अधिकार कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रभार्य होगा।

उक्त परियोजना की स्वीकृति निम्न मुख्य शर्तो के साथ लागू होगी :–

1. राशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की गई है केवल उसी कार्य पर मितव्ययता के साथ व्यय की जावे।
2. कार्य समाप्ति पर कार्यशाला की विस्तृत रिपोर्ट मय उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आय व्यय विवरण जो अंकेक्षक / सक्षम लेखा प्रभारी द्वारा सत्यापित हो, को निर्धारित प्रपत्र में (३ प्रतियों) में विभाग को शीघ्र भिजवायी जावें।
3. अनुदानित राशि से क्रय की गई सम्पत्ति का रजिस्टर संधारित किया जावे।
4. कार्यशाला रिपोर्ट एवं समस्त प्रचार प्रसार सामग्री में प्रमुखता से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार का नाम उल्लेखित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. स्वीकृत राशि का उपयोग प्री कॉन्फ्रेन्स प्रिंटिंग बुक्स सोविनियर आदि मदों में किया जा सकेगा।
6. सेमीनार की आउटकम्स / रिपोर्ट / रिकमण्डेशन्स प्रमुखता से वेबसाईट पर प्रसारित की जावेगी।
7. स्वीकृत राशि का उपयोग स्वीकृति जारी करने के वित्तीय वर्ष में ही किया जा सकेगा।
8. विभाग द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में करने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाने की स्थिति में औचित्य के साथ स्वीकृत राशि को विभाग को लौटाना होगा।
10. कार्यक्रम के आयोजन के पश्चात शेष राशि को अविलम्ब लौटाना होगा।
11. उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर कार्यालय में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया जाना है। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र, नियत अवधि में विभाग में प्रस्तुत किया जावें।

निदेशक

क्रमांक : प.२(1)विप्रौ / पी.आई.सी. / जी.आई. / 2014 / पार्ट-2 / 1517-28 दिनांक 25/2/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :—

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा प्रथम / लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. कार्यालय निवासी, लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
4. उप निदेशक (आयोजना), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, प्रथम / द्वितीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मुख्यालय-जयपुर।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय-जयपुर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
8. विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर को भेजकर लेख है कि कार्यक्रम आयोजन उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र संलग्न प्रपत्र में अविलम्ब प्रस्तुत करें।
9. बिल क्लर्क, (दो प्रतियों में), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

परियोजना अधिकारी